**भारत सरकार**
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3395**
**20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**दिल्ली मेट्रो येलो लाइन कॉरिडोर का विस्तार**

**†3395. श्री योगेन्द्र चांदोलियाः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली मेट्रो येलो लाइन कॉरिडोर को समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन से नरेला तक विस्तारित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है साथ ही अनुमानित लागत, पूरा होने की समय-सीमा और नरेला तथा आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को मिलने वाले अपेक्षित लाभ क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने प्रस्तावित विस्तार के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन या सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो निष्कर्षों और सिफारिशों सहित अध्ययन/सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रस्तावित विस्तार के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**
**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**
**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (ङ): 'शहरी नियोजन' राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच एकीकरण सहित शहरी परिवहन अवसंरचना की योजना बनाने, पहल करने और विकास करने के लिए जिम्मेदार हैं।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2017 तैयार की है, जो शहरी परिवहन प्रणालियों की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के लिए एक

मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। जब कभी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तब केंद्र सरकार प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरी रेल आधारित प्रणाली को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने समयपुर बादली से नाथूपुर होते हुए सोनीपत तक येलो लाइन के विस्तार के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए डीएमआरसी को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

***